

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥

:: दिनांक 23.09.2022 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 23.09.2022 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री यू.एल. छानवाल, सदस्य
अति. महानिदेशक कारागार (अतिरिक्त प्रभार)
राजस्थान, जयपुर।
2. डॉ. सौम्या झा सदस्य
संयुक्त शासन सचिव,
गृह (गुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
3. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
4. श्री रमेश कुमार दहमीवाल, सदस्य
सहायक निदेशक (परिवीक्षा)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर।

निम्न 03 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
संदीप सिंह पुत्र डूंगरसिंह	वि.के.का. श्यालावास	236/2022	09.09.2022	13.09.2022
लक्ष्मीनारायण पुत्र कन्हैया लाल डांगी	वि.के.का. श्यालावास	374/2022	16.08.2022	01.09.2022
रामफूल उर्फ फूलाराम पुत्र भूराराम	के.का. जयपुर	1468/2021	15.09.2022	20.09.2022

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र कन्हैयालाल डांगी, वि.के.का. श्यालावास दौसा

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक 17 वर्ष 02 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी खुला बन्दी शिविर में भेजा गया था जहाँ दिनांक 23.04.2022 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर फरार हो गया तथा रात्रि में 9.50 बजे उपस्थित होने पर जेल दाखिल किया गया। बंदी को खुला बंदी शिविर नियमों का उल्लंघन करने पर दिनांक 24.04.2022 को 03 दिवस परिहार जन्त किये जाने के जेल दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (छ) के अन्तर्गत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के अन्तर्गत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के पारित आदेश द्वारा बंदी की दिनांक 23.04.2022 को खुला बंदी शिविर, कोटा से फरारी की घटना को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर विचार किये जाने हेतु आदेशित किया है।

अतः उक्त निर्देश के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा बंदी लक्ष्मीनारायण पुत्र कन्हैयालाल डांगी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. रामफूल उर्फ फूलाराम पुत्र भूराराम, के.का. जयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक 09 वर्ष 09 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 10.03.2022 को अयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार किया जाकर बंदी के एक अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) होने के कारण बंदी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर ने पत्रांक 362 दिनांक 20.09.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि बंदी को विचाराधीन प्रकरण संख्या 99/2019 (एफ.आई.आर. संख्या 262/2018) पुलिस थाना लालकोठी जयपुर अंतर्गत धारा 42 कारागार अधिनियम में संबंधित न्यायालय द्वारा 03 माह साधारण कारावास से दण्डित किया जा चुका है। वर्तमान में बंदी के विरुद्ध कोई अन्य प्रकरण

विचाराधीन नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवृत्ति की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा बंदी रामफूल उर्फ फूलाराम पुत्र भूराराम को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. संदीप सिंह पुत्र डूंगर सिंह, वि.के.का. श्यालावास दौसा

बंदी द्वारा प्रकरण संख्या 39/2014 में दिनांक 31.12.2021 तक 08 वर्ष 05 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 10.03.2022 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित एवं अन्य 03 प्रकरणों में विचाराधीन, जिसमें 02 में जमानत पर होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (घ) के अन्तर्गत साधारणतया एवं नियम 4(क) के अन्तर्गत खुला बन्दी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से बन्दी खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 09.09.2022 को निर्णय पारित कर प्रकरण पर दो माह के भीतर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

बंदी को प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित किये जाने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (घ) के अंतर्गत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है।

बंदी के विरुद्ध 3 अन्य प्रकरण विचाराधीन हैं-

- (1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के प्रकरण संख्या 444/2015 अंतर्गत धारा 353, 504 आई.पी.सी. (जमानत पर)
- (2) पी.सी.पी.एन.डी.टी. बीकानेर के प्रकरण संख्या 353/2015 अंतर्गत धारा 406, 420, 120बी आई.पी.सी. (जमानत पर)
- (3) पी.सी.पी.एन.डी.टी. बीकानेर के प्रकरण संख्या 144/2021 अंतर्गत धारा 42 कारागार (संशोधित) अधिनियम, 2015 में

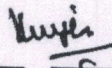
राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 की उद्देशिका में अंकित है कि-

चूंकि राजस्थान के सिद्धदोषों में अच्छे आचरण, कार्य के संतोषजनक निष्पादन, एवं स्व-अनुशासन जीवन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से खुली हवा शिविरों में सिद्धदोषों को भेजने के लिए नियम बनाना, तथा इन सिद्धदोषों को पूर्व-रिहाई प्रदाय करने के लिये, सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सिखाने के अवसर प्रदान करने के लिये, नियम बनाये जाना आवश्यक है।

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत केवल दण्डित बंदियों को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का प्रावधान है जबकि बंदी अन्य 03 प्रकरणों में विचाराधीन (जिनमें 02 में जमानत पर) है।

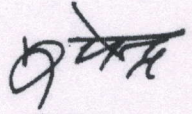
अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी संदीप सिंह पुत्र डूंगरसिंह को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।


सदस्य
सहायक
निदेशक
(परिवीक्षा)
सामाजिक
न्याय एवं
अधिकारिता
विभाग,
जयपुर।


सदस्य सचिव
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
संयुक्त शासन
सचिव, गृह
(ग्रुप-12)
विभाग,
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
अति.
महानिदेशक
कारागार
(अतिरिक्त
प्रभार)
राजस्थान
जयपुर।


अध्यक्ष
महानिदेशक एवं
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।